न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू:— 04.09.2013

मुकदमा नं0 152/2013

पीठासीन अधिकारी :— अनूपसिंह

R.A.S.

1. प्रकाश | पिसरान रोशनलाल जाति जांगिड ब्राहम्ण
2. मुकेश | निवासी पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

राजस्थान ————————————————————————————————वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली जिला करौली
2. तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी (लैण्ड होल्डर)———————— प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण
2. पेरोकार सरकार प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :— 11-11-2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0 चाह एवं खसरा नम्बर 670 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन वादीगण बहिस्सा बराबर खातेदारी की आराजीयात है।

वाद पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुन्दर्जे मद नं01 वाद पत्र साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 5 बीघा से तरमीम होकर सेटिलमेन्ट विभाग ने वादीगण की खातेदारी में कायम की है। जिसमें साबिक रिकार्ड के अनुसार वादीगण का 6 एयर रकबा नवीन रिकार्ड में कम दर्शाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:00:23
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है। जिसका सेटिलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार किसी प्रकार का प्राप्त नहीं था।

वाद पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि सेटिलमेन्ट से पूर्व से ही वादीगण ने अपने खेत साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 5 बीघा में कृषि विकासार्थ एवं मवेशियों का चारा फूंस रखने बाबत् पुख्ता पाटौर पोश एवं छप्पर पोश निर्माण तामीर किया हुआ है। जिस पर वादीगण बहैसियत खातेदार व मालिक काबिज एवं दखील हैं। जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है।

वाद पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 27.08.2013 को वादी अपने कृषि उपकरणों की देखरेख कर रहा था कि प्रतिवादी सं02 मौके पर हल्का पटवारी के साथ आये और कहने लगे कि यह जगह खसरा नम्बर 671 सरकारी भूमि का हिस्सा है। इसे तुम खाली करो, तब वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि यह मेरी खातेदारी का ही हिस्सा है और इस पर वादी सेटिलमेन्ट से पूर्व से ही काबिज एवं दखील हैं, तो प्रतिवादी सं02 ने वादीगण के कथन को नकारते हुए कि अब यह जगह सरकारी भूमि है। तुम रिकार्ड की जॉच करवाओ तब वादीगण द्वारा रिकार्ड आदि की नकलें लेकर जानकारी की, तो उक्त रकबा घटने वाले तथ्य की वादीगण को जानकारी हुई एवं दावा दायर करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 26.08.2013 को वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादी सं02 द्वारा मजाहमत मदाखलत करने से बमुकाम ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन इस अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर इस आश्य की घोषणा फरमाई जा[illegible] खसरा नम्बर 669 व 670 किता 2कुल रकबा 1.19 है0 स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन का 6 एयर रकबा पु[illegible] कर्मी पूर्ति की जाकर 1.25 है0 किया जावे एवं 6 एयर रकबा सरकारी भू[illegible] खसरा नम्बर 671 से कम किया जावे एवं इसी प्रकार सरकारी रिकार्ड में अमल दरामद फरमावें। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:00:23
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फरमाया जावे कि खसरा नम्बर 669 व 670 कुल किता कुल रकबा 1.25 है0 स्थित ग्राम पट्टीनारायणपुर से वादी को बेदखल नहीं करें, वादी को कृषि विकासार्थ किये गये निर्माण को नहीं तोडें। रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार हिण्डौन स्वंय उपस्थित आया एवं जबावदावा पेश करने को समय चाहा। प्रतिवादीगण की ओर से जबावदावा पेश किया। जबाबदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि मद नं01 स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं02 में दर्ज किया है कि मद नं02 आंशिक स्वीकार है। वाके ग्राम पट्टीनारायण स्थित साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 5 बीघा से मुताविक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 670 रकबा 1.17 है0 बने हुए हैं।

जबावदावा के मद नं03 में दर्ज किया है कि मद नं03 लाईल्म नामंजूर है।

जबावदावा के मद नं04में दर्ज किया है कि मद नं04स्वीकार नहीं हैं।

जबावदावा के मद नं05में दर्ज किया है कि मद नं05स्वीकार नहीं है।

जबावदावा के मद नं06 लगायत 10 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं06 लगायत 10 कानूनी हैं।

जबावदावा के मद नं011 (क),(ख) कानूनी है।

अन्य दादरसी :– ग्राम पट्टीनारायणपुर स्थित हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, 670 रकबा 1.17 है0 किता 2 रकबा 1.19 है0 साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 5 बीघा से मुताविक मिलान खसरा बना है। रिपोर्ट मुताबिक भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी रेवई ने अंकित किया है [illegible] साबिक रकबे के मुकाबले हाल तुलनात्मक रकबे में 0.06 है0 [illegible] बन्दोवस्त विभाग द्वारा की गई है। मौके पर की गई नाप एवं रकबा [illegible] अनुसार हाल खसरा नम्बर 669 व 670 रकबा बन्दोवस्त विभाग द्वारा दिये ग[illegible] रकबे 1.19 है0, आराजी खसरा नम्बर 670 के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित खसरा नम्बर 671 जो हाल राजस्व रिकार्ड में चरागाह दर्ज है तथा प्रार्थी को खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:00:23
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 670 के सहारे स्थित खसरा नम्बर 671 रकबा 0.06 है0 पर काबिज है, प्रार्थी को बन्दोवस्त विभाग द्वारा कमी रकबा 0.06 है0 दिया जाना उचित प्रतीत होता है। क्षतिपूर्ति हेतु सिवायचक खसरा नम्बर 378 रकबा 0.06 है0 किस्म बारानी 01 ग्राम पट्टीनारायणपुर संलग्न जबाव है।

दावा एवं जबावदावा के आधार पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 669 व 670 किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में पुराने कब्जे अनुसार 6 एयर कम दर्ज रकबे को आराजी खसरा नम्बर 671 में से कम करके पूर्ति करवाये जाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 669 व 670 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के रकबे में 6 एयर वृद्धि कर रकबा 1.25 है0 का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है। – जिम्मे वादीगण

3. अनुतोष

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2061 से 64 प्रदर्श–1, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 प्रदर्श–3, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस साबिक नम्बरान प्रदर्श–4, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–5, फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रदर्श–6 पेश की है तथा जुवानी सहादत में वादी प्रकाश ने स्वंय का शपथ पत्र पेश कर बयान कराये हैं।

जबावदावा के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी हल्का रेवई की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.11.2019, नकल नक्शा ट्रेस हाल नम्बरान प्रस्तावित रकबा 0.06 है0 की प्रमाणित प्रति पेश की है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से पेशकार सरकार उपस्थित। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित पेशकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं मुताविक साबिक रिकार्ड के हाल रिकार्ड में कमी रकबा की इन्द्राज दुरूस्ती की जावे एवं खसरा नम्बर 671 में से रकबा 0.06 है0 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Si
Date: 2022.06.08 16:00:23 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी हल्का रेवई की मौका रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पट्टीनारायणपुर की चरागाह खसरा नम्बर 671 में से रकबा 0.06 है0 वादीगण को दिया जाना तथा उक्त रकबा 0.06 है0 चरागाह की क्षति पूर्ति हेतु ग्राम पट्टीनारायणपुर के सिवायक भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 0.06 है0 को चरागाह दर्ज कराने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर प्रकरण में कायम की गई तनकीयात के आधार पर प्रकरण का निम्नानुसार निस्तारण किया जाता है।

निर्णय तनकी नं01 :– आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 669 व 670 किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में पुराने कब्जे अनुसार 6 एयर कम दर्ज रकबे को आराजी खसरा नम्बर 671 में से कम करके पूर्ति करवाये जाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2061 से 64 प्रदर्श–1 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 670 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी प्रकाश मुकेश पुत्र रोशनलाल जाति जांगिड़ ब्राहम्ण निवासी ग्राम खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक लि0 शाखा हिण्डौन मुर्तहिन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार [illegible] सेटिलमेंट साबिक खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
345/3 मिन	5 बीघा	669	0.02
345 मिन	–	670	1.17

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop S
Date: 2022.06.08 16:00:23
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 345/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी रोशन पुत्र रामचन्द जाति खाती निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2031–34 के अनुसार खसरा नम्बर 326 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा, 345 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 30 बीघा वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी चारागाह सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 245/3 रकबा 5 बीघा ग्राम पट्टीनारायणपुर की खातेदारी रोशन पुत्र रामचन्द जाति खाती निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2035 से 38 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 245/2 रकबा 5 बीघा ग्राम पट्टीनारायणपुर की खातेदारी रतन पुत्र जवाली जाति मेहतर निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2069–72 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 378 रकबा 0.01 है0 किस्म बारानी 1 ग्राम पट्टीनारायण की खातेदारी सिवायचक सरकारी भूमि दर्ज रिकार्ड है।

नकल नक्शा सीट साबिक नम्बरान के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 326 व 345 चारागाह भूमि ग्राम पट्टीनाराणपुर आपस में एक दूसरे से सटे हुए दर्शित हैं।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार दौराने सेटिलमेंट साबिक खसरा नम्बर से नवीन खसरा नम्बरान निम्नानुसार कायम किये गये हैं।

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
345 मिन	7 बीघा 5 बिस्वा	616	0.58 है0
345/2 मिन	5 बीघा	617	0.47 है0
345 मिन	–	618	0.19 है0
340 343 मिन 326 345	4 बिस्वा 2 बीघा 8 बिस्वा – –	626	0.47 है0
345/3 मिन	5 बीघा	669	0.02 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Ando
Date: 2022.06.08 16:00
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

345 मिन		670	1.17 है0
345 मिन		671	0.53 है0
345 मिन		619/1045	0.15 है0
326	12 बीघा 15 बिस्वा	360	0.11 है0
		363	2.95 है0
		362/1040	0.19 है0
		373/1041	0.28 है0
		355/1042	0.08 है0
		366/1023	0.37 है0

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सेटिलमेन्ट से पूर्व के चरागाह के साबिक खसरा नम्बर 326 रकबा 12 बीघा 15 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 307, 363, 362/1040, 373/1041, 355/1042, 366/1023 कुल रकबा 3.98 है0 कायम हुए हैं, इसी प्रकार चरागाह के साबिक खसरा नम्बर 345 रकबा 17 बीघा 5 बिस्वा से नवीन खसरा नम्बर 616, 617, 618, 626, 669, 670, 671, 619/1045 कुल किता 8 कुल रकबा 3.58 है0 कायम किये हुए हैं। इस प्रकार चरागाह भूमि साबिक खसरा नम्बर 326 व 345 कुल रकबा 30 बीघा से बाद भू–प्रबन्ध बने उक्त नवीन खसरा नम्बरान का कुल रकबा 7.56 है0 कायम भू–प्रबन्ध किये गये हैं। साबिक खसरा नम्बर 345 का रकबा कमी खसरा नम्बर 326 के रकबा बेशी में समाहित होने से कुल रकबा 0.06 है0 अधिक कायमात हुआ है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती में रकबा 0.06 है0 की रकबा कमी की दुरूस्ती चाही गई है।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी हल्का रेवई की रिपोर्ट दिनांक 12.11.2019 के अनुसार – रिपोर्ट के मद नं01 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 345/3 रकबा 5 बीघा बारानी दोयम जमाबन्दी सं0 2035–38 में रोशन पुत्र रामचन्द जाति खाती निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताविक मिलान क्षेत्रफल सा[illegible] खसरा नम्बर 345/3 मिन के हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, 670 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 बने हैं। हाल जमाबन्दी अन्तिम चौसाला आधार वर्ष सम्बत् 2069–72, जमाबन्दी सं0 2074 (वर्ष 2018) [illegible] स्थायी में खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, 670 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 अर्चनादेवी पत्नि राजेश कुमार हि01/3 ममता देवी पत्नि

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:00:23
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मनोज कुमार हि01/3, संजीव कुमार पुत्र महेश चन्द हि01/3 जाति महाजन सा0 हिण्डौन के नाम दर्ज रिकार्ड है।

रिपोर्ट के मद नं02 में दर्ज किया है कि साबिक खसरा नम्बर 345/3 रकबा 5 बीघा का बन्दोवस्त पश्चात मिलान क्षेत्रफल का अध्ययन करने पर हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, 670 रकबा 1.17 है0 बने हैं जो तुलनात्मक रकबा 0.06 है0 प्रार्थी को बन्दोवस्त द्वारा कम दिया गया है।

रिपोर्ट के मद नं03 में दर्ज किया है कि मौके पर खसरा नम्बर 669 व 670 की माप की गई तो मौका व रकबा बरारी अनुसार उक्त खसरा नम्बर 669 व 670 का रकबा बन्दोवस्त द्वारा दिये गये रकबे के समान है व आराजी खसरा नम्बर 670 के उत्तर पूर्व में खसरा नम्बर 671 जो वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकार्ड है पर प्रार्थी प्रकाश वगैराह खसरा नम्बर 670 के सहारे सहारे मौके पर लगभग 0.06 है0 रकबे पर काबिज हैं।

अतः प्रार्थी को खसरा नम्बर 671 में से 0.06 है0 भूमि दिया जाना अपेक्षित है।

रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में उक्त वादीगण के 6 एयर कमी रकबा की पूर्ती हेतु लाल स्याही से खसरा नम्बर 671 में भली प्रकार से डोटेड लाईन से दर्शाया हुआ है।

प्रतिवादीगण ने अपने जबावदावा में स्पष्ट अंकित किया है कि वादीगण को चारागाह भूमि खसरा नम्बर 671 में से रकबा 0.06 है0 दिया जावे तथा उक्त चरागाह की कमी रकबा 0.06 है0 की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पट्टीनारायणपुर की सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 378 रकबा 0.06 है0 को चारागाह दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 669 व 670 किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हि[illegible] में पुराने कब्जे अनुसार एवं सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा वादीग[illegible] दिये गये रकबा 6 एयर को आराजी खसरा नम्बर 671 में से कम करके [illegible] रकबे की पूर्ति करवाये जाने का अधिकारी साबित है तथा चरागाह की क[illegible] रकबा 0.06 है0 की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम पट्टीनारायणपुर की सिवायचक भूमि

Signature Not Verif
Digitally signed by And
Date: 2022.06.08 16:00
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

खसरा नम्बर 378 रकबा 0.06 है0 को चारागाह दर्ज किया जाना भी न्यायोचित है। अतः यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं02 :— आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 669 व 670 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के रकबे में 6 एयर वृद्धि कर रकबा 1.25 है0 का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह बात साबित हो चुकी है कि वादीगण खसरा नम्बर 669 व 670 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन के रकबे में 6 एयर वृद्धि कर रकबा 1.25 है0 का खातेदार घोषित किये जाने का अधिकारी अर्थात हाल खसरा नम्बर 671 में से रकबा 0.06 है0 का वादीगण को खातेदार घोषित कराने के अधिकारी साबित हो चुके हैं। ऐसे हालात में यह तनकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार सभी तनकीयात का निर्णय बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण हुआ है तथा यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 345/3 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन सेटिलमेन्ट से पूर्व वादीगण के पिता रोशन पुत्र रामचन्द जाति खाती निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड थी। उक्त भूमि के दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 669 रकबा 0.02 है0, 670 रकबा 1.17 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम पट्‌टीनारायणपुर कायम किये गये। इस प्रकार वादीगण की खातेदारी में साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा 0.06 है0 कम दिया गया है। जिसके सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से भी कोई एतराज नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.11.2019 के अनुसार उक्त हाल खसरा नम्बरान की मौके पर करते हुए एवं रकबा बरारी करने के उपरान्त वादीगण का कब्जा 5 बीघा भूमि पर ही माना है। वादीगण का जो रकबा कम है वह हाल खसरा नम्बर 670 लगमा के खसरा नम्बर 671 में रकबा 0.06 है0 है तथा वादीगण उस पर काबिज है तथा प्रार्थी को खसरा नम्बर 671 में से 0.06 है0 रकबा की भूमि दिया जाना अपेक्षित बताया है। इस प्रकार यह भली भॉति स्पष्ट है कि वादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही 5 बीघा भूमि पर काबिज रहे हैं किन्तु सेटिलमेन्ट विभाग ने

Signature Not Verifie
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:00:2
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबिक रकबा 5 बीघा के स्थान पर रकबा 1.19 है0 का ही वादीगण की खातेदारी में दिया है इस प्रकार साबिक रकबा के मुकाबले हाल रकबा 0.06 है0 कम दिया गया है। जिसकी रकबा पूर्ति कराते हुए हाल खसरा नम्बर 670 के लगमा खसरा नम्बर 671 रकबा 0.53 है0 में से रकबा 0.06 है0 की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शा सीट के अनुसार वादीगण अपने नाम कराने के अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर हाल खसरा नम्बर 670 के लगमा, खसरा नम्बर 671 रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम पट्टीनारायणपुर तहसील हिण्डौन में से रकबा 0.06 है0 का (भू–अभिलेख निरीक्षक वृत महूइब्राहिमपुर एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 12.11.2019 के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार लाल स्याही की डोटेड लाईन के हिस्से का) वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त नक्शा सीट निर्णय का ही एक भाग है। शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तर रहेंगे । तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11-11-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop
Date: 2022.06.08 16:00:2
Reason: SelfAttested